मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 05/16/2021, दिनांक 20.05.2022

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021

परीक्षा स्थगन तथा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पुनः प्रारंभ करने की सूचना

ऑनलाइन आवेदन अवधि दिनांक 25.05.2022 से

03.06.2022 (रात्रि12:00 बजे)

01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के सहायक यंत्रियों के पदों की पूर्ति हेतु "राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021" का विज्ञापन क्रमांक 16/2021, दिनांक 30.12.2021 आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर जारी किया गया है। उक्त विज्ञापन के द्वारा विज्ञापित पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित केन्द्रों पर दिनांक 22.05.2022 को आयोजित की जानी थी।

02 उक्त परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 11397/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17.05.2022 द्वारा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को बिना मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन की अनिवार्यता के राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2021 में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की गयी है तथा आयोग को आदेशित किया गया है कि इस हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथोचित सुधार के बाद कम से कम 7 दिन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रारम्भ की जाए तथा तत्पश्चात परीक्षा की नवीन तिथि अधिसूचित की जाए।

03 माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में :-

अ. दिनांक 22.05.2022 को आयोजित की जाने वाली "राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-2021" स्थगित की गई है।

ब. अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

स. मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

द. मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम/ आयोग/ बोर्ड/विश्वविद्यालय/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक - अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा । उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।

04 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 2108/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 एवं याचिका क्रमांक 8609/2022 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.05.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पि.वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2022 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें। यह छूट माननीय उच्च न्यायालय में लंबित उक्त याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

05 अत: ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है तथा ऐसे जो मध्यप्रदेश के निवासी हैं दोनों श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु उक्त व्यवस्था के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा पुन: 10 दिवस के लिए प्रारंभ की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in, www.mppsc.mp.gov.in** पर दिनांक 25.05.2022 से 03.06.2022 (रात्रि12:00 बजे) तक भरे जा सकेंगे । समस्त ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य भी उक्त अवधि में ही संपादित किया जा सकेगा।

04 विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

सचिव